

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

03-करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए स्थगित निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि:-

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्वर (नाम)

गाँव 25 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (पता)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- श्रीगंगानगर

तारीख:- 08.01.2024

(सुभाष चन्द्र)

रिटर्निंग अधिकारी

03-करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड

मजिस्ट्रेट करणपुर

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Adjourned Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from 03- Karanpur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI RUPINDER SINGH KOONER (Name)

Vill. 25 B B Tehsil Padampur Dist. Sriganganagar (Address) sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :Sriganganagar

Date : 08-01-2024



(Subhash Chandra)

Returning Officer
(Subhash Chandra)

03- KARANPUR
Legislative Assembly Constituency
Sub Divisional Officer and
Sub Divisional Magistrate, Karanpur